

न्यायालय-न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहपुर।
दांडिक वाद सं०-22357/2022
सरकार बनाम रफीक खां आदि।

दिनांक-03.06.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अभियुक्तगण उपस्थित। विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय को अवगत कराया गया कि अभियुक्तगण द्वारा मा० उच्च न्यायालय के समक्ष धारा -482 दं०प्र०सं० में आवेदन कर केस नं०-22357/2022 राज्य बनाम रफीक व अन्य (अन्तर्गत धारा-308,323,504 IPC, थाना जाफरगंज, जिला फतेहपुर) को समझौते के आधार पर निरस्त करने की प्रार्थना की गई है।

दिनांक-12.02.2024 के आदेश से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण का आवेदन स्वीकार करते हुए प्रस्तुत केस निरस्त कर दिया है। मा० उच्च न्यायालय द्वारा आदेश के बिन्दु-11 में यह प्रतिपादित किया गया है कि- Considering the facts and circumstances of the case and the submissions advanced by learned counsel for the parties regarding the compromise entered into between the parties and taking all these factors into consideration cumulatively, the compromise between the parties be accepted and further taking into account the legal position as laid down by the Apex Court in the case of Narinder Singh vs. State of Punjab (supra), Yogendra Yadav vs. State of Jharkhand (supra) and Parbatbhai Aahir vs. State of Gujarat (supra) the entire proceedings of the aforesaid case is hereby quashed.

अतः पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(नन्दिनी उपाध्याय)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहपुर।